## न्यायालयः— व्यवहार न्यायाधीश वर्ग— 01 एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, चन्देरी जिला—अशोकनगर (पीठासीन अधिकारी:—जफर इकबाल)

## <u>फाइलिंग नंबर 235103001232009</u> <u>दांडिक प्रकरण क.-100/09</u> <u>संस्थापित दिनांक-24.12.1996</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :	_
आरक्षी केन्द्र पिपरई जिला अशोकनगर।	
	अभियोजन
विरुद्ध	
01—रमेश पुत्र छोटेला	ल ढीमर आयु 35 वर्ष, निवासी खेरई
थाना पिपरई।	
	आरोपी
राज्य द्वारा	:– श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:– श्री ए के चौरसिया अधिवक्ता।

## —ः <u>निर्णय</u> :— (आज दिनांक 30.05.2017 को घोषित)

- 01— आरक्षी केन्द्र पिपरई, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 451, 352, 294 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

- 03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी ओमप्रकाश ने दिनांक 03.12.96 को आरक्षी केंद्र पिपरई में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को रात्रि 8 बजे लगभग उसके घर के अंदर आकर रमेश ढीमर निवासी खैराई ने अकारण ही उसके साथ मारपीट की। फिर वीरेंद्र सिंह आरोपी को पकडकर ले गया लगभग 10 मिनिट बाद आरोपी पुनः लाठी लेकर आया और उसे मां—बहन की गालियां देने लगा और कहने लगा कि कभी भी खैराई में पैर नहीं रखने देगा और घर के बाहर निकलने पर उससे सिर फाड देने की भी कहने लगा। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 147/96 के अंतर्गत भादि की धारा 451, 352, 294 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 04— प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 451, 323 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया तथा आरोपी ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।
- 05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
  - 1. क्या आरोपी ने दिनांक 23.11.96 को रात्रि के लगभग 08.00 बजे ग्राम खैरई में प्रार्थी प्रकाश को उपहित कारित करने के आशय से उसके निवासगृह में प्रवेश कर गृह अतिचार किया ?
  - क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर ही प्रार्थी को मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की

## <u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

06— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित

है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 ओमप्रकाश, अ.सा. 02 लल्ला उर्फ विजय, अ.सा. 03 अमृतलाल, अ. सा. 04 वीरेंद्र सिंह की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 01 ओमप्रकाश ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को वह अपने कमरे में अकेला था तब आरोपी आया और उसके साथ गाली गलौच करने लगा। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी ने उसके साथ झूमा झटकी एवं मारपीट की थी। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी ने हाथों और लाठी से मारपीट की थी जिसकी रिपोर्ट प्रपी 01 उसने लेखबद्ध कराई थी। अ.सा. 01 के अनुसार पुलिस ने नक्शामौका प्रपी 02 तैयार किया था। अ.सा. 01 के अनुसार मौके पर वीरेंद्र खडा था और उसने उसे बचाया था। अ.सा. 02 लल्ला ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को कोई झगडा हुआ था, किंतु किसका किससे झगडा हुआ था इसकी जानकारी उसे नहीं है। उक्त साक्षी का कहना है कि उसे याद नहीं है कि उसने पुलिस कथन प्रपी 02 दिया था या नहीं। अ.सा. 04 वीरेंद्र सिंह पक्षद्रोही हो गया है। उक्त साक्षी ने घटना की कोई भी जानकारी होने से इंकार किया है। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसने पुलिस कथन प्रपी 04 का ए से ए भाग दिया था।

08— अ.सा. 03 अमृतलाल मामले का विवेचक है। उक्त साक्षी के अनुसार उसने घटना स्थल का नक्शामौका प्रपी 02 तैयार किया था तथा साक्षी के कथन लेखबद्ध किए थे। अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले के फरियादी ने स्पष्ट रूप से अपने कथनों में बताया है कि आरोपी उसके कमरे में घुस आया था तथा उसने उसके साथ मारपीट की थी। अ.सा. 02 के अनुसार भी कोई झगडा हुआ था। इस प्रकार अ.सा. 01 की साक्ष्य का अनुसमर्थन एवं संपुष्टि अ.सा. 02 की साक्ष्य से हो रही है। यद्यपि अ.सा. 04 पक्षद्रोही हो गया है,

किंतु मात्र इस आधार पर कि अ.सा. 04 ने फरियादी के बताए अनुसार कथन नहीं किया है, अ.सा. 01 की साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता। आरोपी की ओर से ऐसी कोई बचाव साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियोजन द्वारा झूठा मामला प्रस्तुत किया गया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को आरोपी फरियादी के कमरे में उसे उपहति कारित करने के आशय से घुसा था तथा उसने उसके साथ मारपीट कर उसे उपहति कारित की थी।

- 09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में सफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादिव की धारा 451, 323 के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।
- 10— आरोपी पूर्व से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रस्तुत प्रकरण शमन विचारणीय है। अतः आरोपी को दंड के प्रश्न पर सुनने की आवश्यकता नहीं है।
- 11— जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपी को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उनके लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपी को ऐसे दण्डादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें न केवल विधिक प्रक्रिया के प्रति गंभीर करे, बल्कि उन्हें यह भी बोध हो कि यदि किसी के द्वारा किसी के घर में घुसकर हिंसा कारित की जाती है तो ऐसी दशा में उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आरोपी को भा. द.वि. की धारा 451 के अपराध में 8 माह के साधारण कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा। आरोपी को भा.द.वि. की धारा 323 के अपराध में 8 माह के साधारण कारावास से दंडित किया जाता है। उक्त दोनों दंडादेश एक साथ भुगताए जाएंगे। उक्त दंडादेश आरोपी द्वारा पूर्व में भुगताये गए कारावास से समायोजित

किया जावे। प्रकरण में अभियोजन की ओर से क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई तर्क नहीं किया गया और अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य भी नहीं आई है, जिससे कि फरियादी को क्षतिपूर्ति दिलाया जाना समीचीन प्रतीत होता हो।

- आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं। 12-
- प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है। 13-
- आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।
- आरोपी का सजा वारंट तैयार किया जावे। 15-

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) व्य0 न्याया0 वर्ग-01 एवं न्यायाधिकारी व्य0 न्याया0 वर्ग-01 एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, चंदेरी

(जफर इकबाल) ग्राम न्यायालय, चंदेरी